राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
बेवसाईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई–मेल– caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक/प.6 (क)(66)लेखा/डीएलबी/बजट/18–19/ 26261–451 दिनांक 9-2-18
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त।

विषयः– शहरी निकायों के बजट अनुमान 2018–19 एवं संशोधित अनुमान 2017–18 पारित करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 20725–20915 दिनांक 14.12.2017 के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 व 88 के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों को आगामी वर्ष 2018–19 के आय–व्यय अनुमान एवं वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल से **15 फरवरी 2018 तक अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य है।**

उल्लेखनीय है कि **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2010 के अनुसार सभी नगरीय निकायों के आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन 15 फरवरी तक बोर्ड से पारित करवाकर एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होती है। यदि कोई नगरीय निकाय 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन पारित करवाने में विफल रहती है तो बजट तैयार करना और उस वर्ष की 28 फरवरी को या उससे पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होता है।**

वर्तमान में राजस्थान विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है। स्थानीय निकायो का बजट भी माह फरवरी में पारित होना आवश्यक है। इस संबंध में सभी स्थानीय निकायो को निर्देशित किया जाता है किः–

(1) स्थानीय निकाय के बजट को पारित करने हेतु बैठक शनिवार अथवा रविवार को ही अनिवार्य होने पर आयोजित की जायें।

(2) बैठक तिथि के निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित विधायक महोदय की सहमति आवश्यक से प्राप्त करें।

उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक/प.6 (क)(66)लेखा/डीएलबी/बजट/18–19/ 26452–63 दिनांक– 9-2-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. उपनिदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
05. प्रभारी आई॰ टी॰ प्रकोष्ठ/प्रभारी ई–गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकार

\\dlboffice\DLB_N\Gyan Ji Sir\Budget\Budget 2018-19\Letter 2018-19.doc